कार्यालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर (म.प्र.)

पृ0क्रमांक.......1451......./चार–3–1/94(वाहन)　　　　छतरपुर, दिनांक....10../05/2025

प्रतिलिपि यथाआदेशः–

01. जिला नाजिर, नजारत अनुभाग छतरपुर की ओर निविदा आमंत्रण सूचना, निविदा की शर्ते एवं तकनीकि निविदा फार्म व वित्तीय निविदा फार्म प्रारुप प्रेषित कर लेख है कि, निविदा की शर्त क्रमांक 12 के अनुक्रम में चालान से राशि जमा करने वाले निविदाकर्ता को तकनीकि निविदा एवं वित्तीय निविदा फार्म उपलब्ध करावे एवं दिनांक 14.05.2025 के कार्यालय समय तक प्राप्त होने वाली निविदायें स्थापना पर गठित क्रय समिति के पास अंतिम तिथि के उपरांत जमा करें।

02. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, छतरपुर की ओर निविदा आमंत्रण सूचना एवं निविदा की शर्ते प्रेषित कर लेख है कि, निविदा आमंत्रण की सूचना एवं निविदा की शर्ते माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर व जिला न्यायालय छतरपुर की बेवसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

03. आवक–जावक लिपिक, कार्यालय अनुभाग, छतरपुर की ओर निविदा आमंत्रण सूचना एवं निविदा की शर्ते प्रेषित कर लेख है कि, उक्तानुसार निविदा संबंधी दस्तावेजो को जिला न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करें।

संलग्न :–　　उपरोक्तानुसार।

कृते–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
छतरपुर (म.प्र.)

<u>कार्यालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर (म.प्र.)</u>

:: **<u>निविदा आमंत्रण सूचना</u>** ::

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि जिला न्यायालय, छतरपुर में प्रोटोकॉल व्यवस्था एवं अन्य प्रशासकीय व्यवस्था हेतु निविदा शर्तो के अंतर्गत अर्टिगा/इनोवा किस्टा अथवा इनोवा हाइब्रिड/अन्य समकक्ष एस.यू.व्ही. वाहन किराये पर लेने हेतु प्रतिष्ठित सेवा प्रदाताओं से निविदायें आमंत्रित की जाना है। उक्त निविदा जमा करने की **<u>अंतिम तिथि 14.05.2025 के कार्यालय समय तक</u>** है। निविदा की शर्तो के अंतर्गत सील बंद निविदायें समस्त दस्तावेज सहित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को संबोधित करते हुए नजारत अनुभाग, जिला न्यायालय छतरपुर में जिला नाजिर के पास जमा करना होगी। प्राप्त निविदायें अधिकृत कमेटी के समक्ष खोली जावेगी। निविदा मान्य अथवा अमान्य करने का अधिकार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर के पास सुरक्षित होगा। विस्तृत निविदा दस्तावेज माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर एवं जिला न्यायालय छतरपुर की बेवसाइट पर उपलब्ध है।

संलग्न :– निविदा की शर्ते।

कृते–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
छतरपुर (म.प्र.)

:: निविदा की शर्ते ::

01. इस निविदा आमंत्रण के अधीन प्रस्तुत प्रस्ताव दो–निविदा प्रणाली के अनुसार प्रस्तुत किये जावेगें, जिसमें पहला लिफाफा तकनीकी निविदा एवं दूसरा लिफाफा वित्तीय निविदा का होगा। दोनो लिफाफे एक बड़े लिफाफे में रखकर प्रस्तुत किये जावेंगे। तकनीकी निविदा में पात्र निविदाकर्ताओं के वित्तीय निविदा पर विचार किया जावेगा।

02. अनुबंधित वाहन अच्छी कंडीशन में एक 02 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। वाहन साफ–सुथरा एवं सही हालत में रखा जाना होगा। जिसमें आवश्यक सीट कवर, पर्दे एवं अन्य सहायक उपकरण की उपलब्धता संविदाकार द्वारा की जावेगी।

03. वाहन राशि 35,500/– रुपये प्रतिमाह अथवा इससे कम राशि में किराये से उपलब्ध कराये जाने बावत् निविदायें निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत की जावेगी।

04. वाहन चालक स्वच्छ वर्दी में रहेगा। वाहन चालक आपराधिक चरित्र का न हो। उसके पास वैध कमर्शियल वाहन संचालन का लायसेंस हो। चालक के वेतन एवं भत्तो के भुगतान का उत्तरदायित्व ट्रेवल एजेंसी/वाहन मालिक का ही रहेगा।

05. वाहनों का संपूर्ण रख–रखाव जैसे टायर, ट्यूब, स्टेपनी, बैटरी, सेल्फस्टार्ट, माईलोमीटर दुरुस्त रखने का उत्तरदायित्व फर्म/वाहन प्रदाता का रहेगा।

06. वाहन के साथ 24 घंटे वाहन चालक उपलब्ध कराया जावेगा। वाहन चालक अवकाश पर होने की स्थिति में अन्य वाहन चालक की व्यवस्था का दायित्व संविदाकार का रहेगा। किसी भी दुर्घटना की स्थिति में उपत्पन्न समस्त दावे संविदाकार द्वारा वहन किये जावेगें। वाहन चालक का पुलिस वैरीफिकेशन कराया जाकर सफल निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जावेगा। वाहन चालक द्वारा मोबाईल फोन सदैव चालू रखा जावेगा एवं सफल निविदाकर्ता तथा वाहन चालक को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर तथा अन्य अधिकृत अधिकारीगण के निर्देशों का पालन करना होगा।

07. संविदाकार द्वारा एयरकंडीशन वाहन उपलब्ध कराया जावेगा।

08. वाहन में तकनीकी खराबी होने के कारण यदि आवश्यकतानुसार वाहन के उपयोग में बाधा आती है, तो तत्काल अन्य वाहन की व्यवस्था करना आवश्यक होगा।

09. अनुबंधित वाहन का बीमा, रजिस्ट्रेशन, ड्राइवर लाइसेंस, वाहन फिटनेस, कॉमर्शियल पासिंग सहित समस्त दस्तावेज निविदा में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

10. वाहन में टूट–फूट, मरम्मत आदि कराये जाने का एवं वाहन को अच्छी कंडीशन में रखने का दायित्व संविदाकार का होगा।

11. प्रारंभिक स्तर पर वाहन अनुबंध दिनांक से 12 माह तक किराये पर लिया जाना है, जिसकी अवधि आगामी पॉलिसी अनुसार बढ़ाई जावेगी।

12. वाहन किराये पर लिये जाने हेतु सफल संविदाकार को राशि रुपये 5000/– की निविदा प्रतिपूर्ति राशि डी.डी./एफ.डी.आर. के रुप में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर के नाम जमा कराई जानी होगी, जिसे अनुबंध समाप्ति उपरांत संविदाकार को वापस कर दिया जावेगा। निविदा दस्तावेज जिला न्यायालय के नजारत अनुभाग से प्राप्त किये जा सकते है, जिस हेतु राशि रुपये 100/– निविदा दस्तावेज मूल्य चालान माध्यम से (हेड 0070–01–800–0000 न्याय प्रशासन अन्य प्राप्तियां) में जमा किये जाकर चालान की प्रति निविदा के साथ संलग्न की जानी होगी।

13. निविदा के संबंध में आगामी संशोधन होने की स्थिति में सूचना माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की बेवसाईट पर उपलब्ध कराई जावेगी। निविदाकर्ताओं से

कोई व्यक्तिगत पत्राचार नही किया जावेगा।

14. किसी कारण से निविदा जमा किये जाने की तिथि में अवकाश घोषित होने पर आगामी तिथि से निविदाकर्ताओं को अवगत कराया जावेगा।

15. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को किसी भी प्रस्ताव को बिना किसी कारण स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

16. निविदाकर्ताओं को निविदा दस्तावेज में मांगी गई समस्त जानकारी स्पष्ट रुप से भरा जाना एवं निविदा दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किया जाना अनिवार्य होगा। निविदा दस्तावेज में किसी प्रकार की काटा–छाटी मान्य नहीं होगी।

17. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात सफल निविदाकर्ता द्वारा शर्तो का पालन नहीं किये जाने की स्थिति में निविदाकर्ता की प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी एवं अनुबंध समाप्त कर दिया जावेगा।

18. प्रत्येक निविदाकर्ता को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार होगा जिसे वे व्यक्तिगत रुप से अथवा किसी संयुक्त फर्म के प्रतिनिधि के रुप में प्रस्तुत कर सकते है। एक पक्षकार द्वारा एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर विचार नहीं किया जावेगा।

19. सफल निविदाकर्ता को निविदा किये जाने की सूचना कार्य आदेश द्वारा दी जावेगी। तदोपरांत निविदाकर्ता को जिला न्यायालय में उपस्थित होकर अनुबंध निष्पादित कराना होगा, जिसका समस्त व्यय निविदाकर्ता द्वारा वहन किया जावेगा।

20. वाहन की प्रति लीटर डीजल की औसत खपत 10 कि.मी. से कम नहीं होगी, इससे कम औसत होने पर वाहन प्रदाता पर क्षतिपूर्ति की जवाबदारी होगी।

21. सफल निविदाकर्ता के देयकों को भुगतान निविदाकर्ता द्वारा संधारित लॉग बुक में इंद्राज जानकारी के सत्यापन उपरांत किया जावेगा। वाहन चालक को प्रत्येक दिवस में चलाये गये वाहन की जानकारी एवं भरवाये गये ईधन (डीजल/पेट्रोल/सी.एन.जी.) की जानकारी रसीद सहित लॉग बुक में दर्ज की जाकर प्राधिकृत अधिकारी से प्रमाणित कराया जाना अनिवार्य होगा। देयक का भुगतान प्रत्येक माह के अंत में किया जावेगा। संविदाकार के देयक का भुगतान शासकीय हेड में उपलब्ध बजट की स्थिति पर निर्भर होगा। भुगतान में विलंब की स्थिति में संविदाकार द्वारा जिला न्यायालय से किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति की मांग नहीं की जावेगी।